

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लि०
सी - 115, आवास विकास, रामपुर।

पत्र सं: 732

दिनांक: 20-3-15

दिनांक: 20-3-15

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
रामपुर।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि चतुर्थ त्रैमास माह अक्टूबर-15 से मार्च-15 के आवंटन के विरुद्ध वाल पोषाहार योजना का खाद्यान्न गेहूँ/चावल का उठान भारतीय खाद्य निगम, धमौरा रामपुर से किया गया। उठान की मशी मात्रा के परिवहन बिल तैयार कर इस पत्र के साथ सलंगन कर निम्न विवरणानुसार आपकी सेवा में भुगतान हेतु प्रेषित है। कृपया भुगतान कराने का कष्ट करें।


बिल का विवरण

क्र. सं०	बिल सं०/दिनांक	विवरण	माह का नाम	मात्रा (कु०)	दर (प्रति कु०)	धनराशि
1	13/18-03-15	एम०डी०एम० गेहूँ (प्राथमिक)	अक्टूबर-15 से मार्च-15	950-96	75-00	71322-00
2	14/18-03-15	एम०डी०एम० चावल (प्राथमिक)	"	1397-09	75-00	104781-75
3	15/18-03-15	एम०डी०एम० गेहूँ (उच्च प्राथमिक)	"	474-55	75-00	35591-25
4	16/18-03-15	एम०डी०एम० चावल (उच्च प्राथमिक)	"	949-11	75-00	71183-25
योग				3771-71		282878-25

(रुपये दो लाख अठ्ठासी हजार अठ्ठासी अंश मात्र के अंकित)


सलंगनक - उपरोक्तानुसार।

1. बिल मूल रूप में - 04
2. जार०आ० की छायाप्रति
3. एफ०सी०आई० से सत्यापित खाद्यान्न उठान की सूचना।

भवदीय

 S. S. Singh एवं जा. व. वि.
 20/3/15

परिवहन

प्रतिलिपि - उप वित्त प्रबंधक मुख्यालय लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


 S. S. Singh एवं जा. व. वि.
 20/3/15